न्यायालय उप खण्ड अधिकारी एवम् पदेन सहायक कलक्टर श्रीगंगानगर

पीठासीन अधिकारी – संजय कुमार, आर.ए.एस.

वाद पत्र संख्या 28/2024

अन्तर्गत धारा 53, 88 राज. काश्तकारी अधिनियम

जयन्त सहारण पुत्र श्री कृपाराम जाति जाट उम्र 23 वर्ष निवासी चक 13 क्यू ग्राम पंचायत 11 क्यू बख्ताना तहसील व जिला श्रीगंगानगर (राज0)

.......वादी

बनाम

(1). कृपाराम पुत्र श्री दयाराम जाति जाट निवासी चक 13 क्यू ग्राम पंचायत 11 क्यू बख्ताना तहसील व जिला श्रीगंगानगर (राजस्थान)

(2). अरूणा पुत्री भादरराम जाति जाट निवासी चक 13 क्यू ग्राम पंचायत 11 क्यू बख्ताना तहसील व जिला श्रीगंगानगर (राजस्थान){औपचारिक पक्षकार}

(3). स्टेट ऑफ राजस्थान जरिये तहसीलदार (राजस्व) श्रीगंगानगर (राज0)

....प्रतिवादीगण

उपस्थित– अधिवक्ता श्री ऋषिपाल जोशी (वादी)
अधिवक्ता श्री विजय कुमार भाटी (प्रतिवादी 1 व 2)
पैरोकार राज (प्रति.–3)

–:: निर्णय ::–

दिनांक 29.02.2024

वादी द्वारा प्रस्तुत वाद–पत्र में अंकित तथ्यानुसार चक 11 क्यू पटवार हल्का बख्ताना तहसील व जिला श्रीगंगानगर की जमाबन्दी अंतिम चौसला आधार सम्वत् 2072–2075 जमाबन्दी 2076 (वर्ष 2019) से स्थायी के खाता संख्या 38/24 के मुरब्बा नम्बर 15, 16, 17 की कुल 6.780 है. {6.628 है. नहरी + 0.152 है. खाला} कृषि भूमि जमाबन्दी मुताबिक वादी के पिताजी/प्रतिवादी संख्या 1 कृपाराम पुत्र दयाराम के नाम से राजस्व रिकार्ड में दर्ज कागजात राज है। चक 11 क्यू के खाता संख्या 38/24 की जमाबन्दी की प्रति संलग्न वाद पत्र है। वादी के पिताजी/प्रतिवादी संख्या 1 के नाम दर्ज चक 11 क्यू के खाता संख्या 38/24 की कृषि भूमि वादी के दादाजी दयाराम द्वारा अपने जीवनकाल में पैतृक कृषि भूमि की आय से खरीद करके वादी के पिताजी/प्रतिवादी संख्या 1 के नाम करवाई गई थी। इस प्रकार प्रतिवादी संख्या 1 के नाम दर्ज उक्त वर्णित कृषि भूमि हिन्दु संयुक्त परिवार की आय से यानि वादी के दादाजी की आय से खरीद की हुई होने के कारण विरास्तन जायदाद है जिसमें वादी का जन्म से ही हक व अधिकार है जिसे वादी घोषित करवाने का अधिकारी है। वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 व 2 ने पारस्परिक सहमति से किए गए घरेलू बंटवारा चक 11 क्यू पटवार हल्का बख्ताना तहसील व जिला श्रीगंगानगर की जमाबन्दी अंतिम चौसला आधार सम्वत् 2072–2075 जमाबन्दी 2076 (वर्ष 2019) से स्थायी के खाता संख्या 38/24 के मुरब्बा नम्बर 15, 16, 17 की कुल 6.780 है. {6.628 है. नहरी + 0.152 है. खाला} कृषि भूमि जमाबन्दी मुताबिक में से मुरब्बा नम्बर 16 के किला नम्बर 10 से 19, 21

Signature Not Verified
Digitally signed by Jeetu Kumar
Date: 2024.04.27 12:53:05 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) श्रीगंगानगर

Scanned with OKEN Scanner

से 25 (प्रत्येक में 0.253 है.) कुल 3.795 है. नहरी कृषि भूमि वादी जयन्त सहारण पुत्र श्री कृपाराम जाति जाट निवासी चक 13 क्यू ग्राम पंचायत 11 क्यू बख्ताना तहसील व जिला श्रीगंगानगर (राज0) को घरेलू बंटवारा में दी गई एवं ेष कृषि भूमि प्रतिवादीगण को दी गई। उक्त सहमति से किए गए बंटवारा अनुसार वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 अपने अपने हिस्सा में आई कृषि भूमि के काबिज काश्त है। उक्त घरेलू बंटवारा में आई कृषि भूमि वादी के नाम दर्ज ना होने के कारण, वादी को उस पर कोई भी मालिकाना हक एवं राजस्व सम्बन्धी हक व अधिकार हासिल नहीं है। वादी उक्त कृषि भूमि का अपनी इच्छानुसार उपयोग व उपभोग नहीं कर सकता है, ना ही वह इस पर कृषि ऋण, सहकारी ऋण, मुआवजा आदि की सुविधा ले सकते है। उक्त कृषि भूमि प्रतिवादी सं. 1 के नाम से राजस्व रिकार्ड में दर्ज होने के कारण तथा वह उसका खातेदार मालिक दर्ज होने के कारण, प्रतिवादी संख्या 1, उक्त कृषि भूमि से जबरदस्ती बेदखल कर उसका बेचान करने की वादी को धमकियां देता रहता है। प्रतिवादी संख्या 1 उक्त रकबा को गलत तौर से मुन्तकिल करने की कोशिश में है इसलिए वादी अपने हिस्से में आई कृषि भूमि को अपने नाम से दर्ज करवाने का अधिकारी है। वादी ने, प्रतिवादी संख्या 1 को दिनांक 03/02/2024 को, वादी को बंटवारा में दी गई कृषि भूमि का राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवाने हेतू कहा तो प्रतिवादी संख्या 1 ऐसा करने से साफ इन्कार हो गया है। यही बिनाय मुखास्मत है। प्रतिवादी संख्या 2 वादी की माताजी है तथा प्रतिवादी संख्या 2 का वादी के पिताजी कृपाराम से विधिक रूप से विवाह विच्छेद हो चुका है, इसलिए प्रतिवादी संख्या 2 को औपचारिक पक्षकार बनाया गया है। प्रतिवादी संख्या 3 लैण्ड होल्डर होने के कारण पक्षकार बनाया गया है। अतः वाद पत्र पेश करके निवेदन है कि वादी का वाद पत्र, प्रतिवादीगण के खिलाफ स्वीकार किया जाकर दावा निम्न प्रकार सादिर फरमाया जावे :–

(क) कि चक 11 क्यू पटवार हल्का बख्ताना तहसील व जिला श्रीगंगानगर की जमाबन्दी अंतिम चौसला आधार सम्वत् 2072–2075 जमाबन्दी 2076 (वर्ष 2019) से स्थायी के खाता संख्या 38/24 के मुरब्बा नम्बर 15, 16, 17 की कुल 6.780 है. {6.628 है. नहरी + 0.152 है. खाला} कृषि भूमि जमाबन्दी मुताबिक में से मुरब्बा नम्बर 16 के किला नम्बर 10 से 19, 21 से 25 (प्रत्येक में 0.253 है.) कुल 3.795 है. नहरी कृषि भूमि वादी जयन्त सहारण पुत्र श्री कृपाराम जाति जाट निवासी चक 13 क्यू ग्राम पंचायत 11 क्यू बख्ताना तहसील व जिला श्रीगंगानगर (राज0) की घोषित की जावे।

(ख) उक्त विभाजन एवं घोषणा के अनुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद करने के आदेश दिये जावे व अलग अलग लगान कायम किया जावे।

(ग) वादी को खर्चा मुकदमा दिलवाया जावे।

(घ) कि अन्य कोई अनुतोष जो माननीय न्यायालय वादी के हित में समझे दिलवाया जावे।

वादी द्वारा प्रस्तुत वाद पत्र दर्ज रजिस्टर किया गया जाकर प्रतिवादी को जरिए सम्मन तलब किया गया। वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 व 2 द्वारा स्वयं उपस्थित होकर आपसी सहमति से राजीनामा पेश किया गया जिसमें अंकित तथ्यानुसार उक्त अनवानी [illegible] वा मौतबिरान लोगो ने राजीनामा करवा दिया है तथा पक्षकारान [illegible] अदालत की भावना से प्रेरित होकर अपनी स्वेच्छा से राजीनामा कर लिया है [illegible] अब कोई मनमुटाव नहीं रहा है। घरेलू बंटवारानुसार चक 11 क्यू [illegible] हल्का बख्ताना तहसील व जिला श्रीगंगानगर की जमाबन्दी अंतिम चौसला आधार सम्वत् 2072–2075 जमाबन्दी 2076 (वर्ष 2019) से स्थायी के खाता संख्या 38/24 के मुरब्बा नम्बर 15, 16, 17

Signature Not Verified
Digitally signed by Jeetu Kulhari
Date: 2024.04.27 12:53:05 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
श्रीगंगानगर

Scanned with OKEN Scanner

की कुल 6.780 है. {6.628 है. नहरी + 0.152 है. खाला} कृषि भूमि जमाबन्दी मुताबिक में से मुरब्बा नम्बर 16 के किला नम्बर 10 से 19 व 21 से 25 (प्रत्येक में 0.253 है.) कुल 3.795 है. नहरी कृषि भूमि वादी जयन्त सहारण पुत्र श्री कृपाराम जाति जाट निवासी चक 13 क्यू ग्राम पंचायत 11 क्यू बख्ताना तहसील व जिला श्रीगंगानगर (राज0) को बंटवारा में दी गई है। अतः उक्त राजीनामानुसार चक 11 क्यू पटवार हल्का बख्ताना तहसील व जिला श्रीगंगानगर की जमाबन्दी अंतिम चौसला आधार सम्वत् 2072–2075 जमाबन्दी 2076 (व र्ष 2019) से स्थायी के खाता संख्या 38/24 के मुरब्बा नम्बर 15, 16, 17 की कुल 6.780 है. {6.628 है. नहरी + 0.152 है. खाला} कृषि भूमि जमाबन्दी मुताबिक में से मुरब्बा नम्बर 16 के किला नम्बर 10 से 19, 21 से 25 (प्रत्येक में 0.253 है.) कुल 3.795 है. नहरी कृषि भूमि वादी जयन्त सहारण पुत्र श्री कृपाराम जाति जाट निवासी चक 13 क्यू ग्राम पंचायत 11 क्यू बख्ताना तहसील व जिला श्रीगंगानगर (राज0) की घोषित की जाकर उक्तानुसार डिक्री जारी कर दी जावे व उक्त अनुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद कर दिया जावे तो पक्षकारान उसमें पूर्णतः सहमत है।

बहस उभयपक्ष सुनी गई। पत्रावली पर प्रस्तुत दस्तावेजात का अवलोकन किया गया। वादी द्वारा प्रतिवादी संख्या 1 के नाम जमाबंदी सम्वत् 2072–2075 ग्राम 11 क्यू, पटवार हल्का बख्ताना भू.अ.नि. क्षेत्र दौलतपुरा खाता संख्या 38/24 की प्रति पेश की गई।

"राजस्थान काश्तकारी (राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर) अधिनियम 1955 के नियम 19 व आदेश 12 नियम 6, आदेश 23 नियम 3 व्यवहार प्रक्रिया संहिता के प्रावधानों के अनुसार पारिवारिक समझौता के आधार पर वाद पत्र डिक्री किया जा सकता है।"

—:: आदेश ::—

अतः वादी वादी मुताबिक आपसी सहमति स्वीकार किया जाकर चक 11 क्यू पटवार हल्का बख्ताना तहसील व जिला श्रीगंगानगर की जमाबन्दी अंतिम चौसला आधार सम्वत् 2072–2075 जमाबन्दी 2076 (वर्ष 2019) से स्थायी के खाता संख्या 38/24 के मुरब्बा नम्बर 15, 16, 17 की कुल 6.780 है. {6.628 है. नहरी + 0.152 है. खाला} कृषि भूमि जमाबन्दी मुताबिक में से मुरब्बा नम्बर 16 के किला नम्बर 10 से 19, 21 से 25 (प्रत्येक में 0.253 है.) कुल 3.795 है. नहरी कृषि भूमि का वादी जयन्त सहारण पुत्र श्री कृपाराम को खातेदार घोषित किया जाता है। खर्चा फरीकैन अपना–अपना वहन करेगें। नियमानुसार पर्चा डिकी हेतु स्टाम्प शुल्क प्रस्तुत किये जानें पर आदेशानुसार पर्चा डिक्री जारी की जावे।

तहसीलदार(राजस्व) श्रीगंगानगर को आदेशित किया जाता है कि नियमानुसार राजस्व अभिलेख में अमलदरामद करे। उक्त वर्णित भूमि पर ऋृण भार की स्थिति पूर्वानुसार रहेगी एवम् उक्तानुसार समस्त भूमि का राजस्व रिकार्ड में अंकन किया जाकर अलग अलग लगान कायम किया जावे तथा भूमि की किस्म (यथा नहरी/बारानी/गैरमुमकिन) पूर्वानुसार ही रहेगी जिसमें किसी प्रकार का कोई बदलाव नहीं किया जावेगा।

पत्रावली निर्णय शुमार होकर बाद तकमील दफ्तर दाखिल हो।

निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया जाकर हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से आज दिनांक 29.02.2024 को जारी किया गया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Jeetu Kulhari
Date: 2024.04.27 12:53:05 IST
Reason: SelfAttested

(संजय कुमार)
उपखण्ड अधिकारी एवम्
पदेन सहायक कलेक्टर,
श्रीगंगानगर

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) श्रीगंगानगर

Scanned with OKEN Scanner